न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 02/2020 G.C.M.S. No. 2020/00001 दर्ज दिनांक : 06.01.2020

अपीलार्थिगण:

1. सुबटीदेवी पत्नि कलाराम
2. स्व. भूराराम पुत्र वेना के का.मु.–
   2/1 रतनाराम पुत्र भूराराम
   2/2 जसाराम पुत्र भूराराम के का.मु.–
   2/2/1 पंखुदेवी पत्नि जसाराम
   2/2/2 रोकन पुत्र जसाराम
   2/2/3 मुकेश कुमार पुत्र जसाराम
   2/2/4 दिव्या पुत्री जसाराम अपीलांट मुकेश कुमार व दिव्या नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता पंखुदेवी पत्नि जसाराम
   2/3 केसाराम पुत्र भूराराम जातियान कलबी चौधरी निवासीगण जेतू तहसील बागोड़ा जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. नरसाराम पुत्र प्रभु
2. बगाराम पुत्र प्रभु
3. नाथाराम पुत्र प्रभु
4. पुनी पत्नि प्रभु कौम कलबी चौधरी निवासीगण जेतू तहसील बागोड़ा जिला जालोर।
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बागोड़ा।
6. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जुंजाणी तहसील भीनमाल जिला जालोर।
7. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (कृषि विस्तार शाखा) भीनमाल जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बागोड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2019 बअनवान नरसाराम वगैरह बनाम सुबटीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.12.2019

पैरोकार–

1. श्री निखिल दवे, श्री अमृतलाल, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री त्रिलोकचंद मेहता, श्री फरमान अली, श्री सुरेश सुखाड़िया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 29.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बागोड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

संख्या 09/2019 बअनवान नरसाराम वगैरह बनाम सुबटीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी में आने–जाने हेतु अपीलांट की खातेदारी खसरा नंबर 1250 के पश्चिमी माठ एवं 1252 के पूर्वी माठ से लगता 4 मीटर चौडा रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर यह जाहिर किया कि खसरा नंबर 1252, 1252 व 1255 एक ही माठ व एक ही चक में हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत तौर पर खेतों के बीच में रास्ते की मांग की गई हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 व अन्य खातेदारों ने रास्ते की मांग की थीं, जिस पर प्रकरण संख्या 03/2016 दर्ज किया गया था जो जेता देवी बनाम गेनाराम के नाम से दर्ज किया गया था, जिसे विड्रो कर सही तथ्यों को छिपाते हुए नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ते की मांग की गई। नये प्रार्थना पत्र में अपीलांटगण को कोई नोटिस नहीं दिया गया एवं न ही अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिया गया। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्टगण के पास खसरा नंबर 1261, 1274, 1275 व 1276 में होकर वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, किन्तु उसके बावजूद पूर्व प्रार्थना पत्र खारिज करवाकर नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1251,1252, व 1250 के रेकर्डेड खातेदार है एवं मौके पर खसरा नंबर 1251, 1252 व 1255 एक ही चक में है तथा बीच में किसी प्रकार की माठ नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश द्वारा खसरा नंबर 1251, 1252, 1250 व 1253 के मध्य रास्ता दिया है। उपरोक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट जो तैयार की गई है वह स्वयं भूमिधारी तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की जाकर पटवारी हल्का द्वारा मनमाने तरीके से तैयार की गई हैं, जो दिनांक 21/09/2016 की तैयार की हुई हैं एवं दिनांक 24/09/2016 को तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है परन्तु आदेशिकाओं में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं आ रहा है मौका निरीक्षण से पूर्व अपीलान्ट्स को कोई सूचना नहीं दी गई एवं न ही उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई मौका रिपोर्ट भी मौके की स्थिति के विपरीत बनाई गई हैं। मौके पर खसरा नम्बर 1251, 1252, 1255 एक ही चक में आयी हुई हैं जहां पर कोई माठ स्थिति ही नहीं हैं। उसके बावजूद मनमाने तरीके से नक्शा रिपोर्ट में ए से बी रास्ता खसरा नम्बर 1251 की पश्चिमी माठ एवं 1252 की पूर्वी माठ से होता हुआ खसरा नम्बर 1253 व 1250 के मध्य होता हुआ दिखाया गया है जिससे अपीलान्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

की खातेदारी असुरक्षित होने की संम्भावना बन चुकी हैं। यही रास्ता खसरा नम्बर 1255, व 1254 की माठ से दिलाया जा सकता था, जिससे ही उतनी दूरी पर रास्ता उपलब्ध हो सकता था। उक्त आदेश धारा 251ए के मंशा के विपरीत किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा मौका रिपोर्ट पर जो आपत्ति पेश की गई हैं। उसे भी तय किये बिना अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रकरण संख्या 03/2016 में दिनांक 26/07/2016 में जो आदेश पारित किया गया है, उसमें अपीलान्टस को सुने जाने का कोई उल्लेख नहीं हैं एवं न ही अपीलान्ट्स को सुना गया है। आदेश 23 नियम 3 सी०पी०सी के तहत जहां पर कोई पक्षकार (वादी/प्रार्थी) अपना वाद अथवा प्रार्थना पत्र नये सिरे से प्रस्तुत करने के शर्तों के साथ विड्रो करता है तो उसमें विपक्ष को सुना जाना माफिक कानून आवश्यक है तथा जहां पर आवश्यक हो एवं उचित हों, विपक्षी को उचित हर्जाना भी दिलाये जाने का प्रावधान है अथवा विपक्षी की अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय ने इसकी पालना ना कर नया प्रकरण दर्ज करने एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में भारी भूल की हैं, जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलांट्स अप्रार्थीगण के विरूद्ध रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.08.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 24.12.2019 को अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–क व संगत नियमों के अंतर्गत अपेक्षित भू.अ.नि. से अनिम्न राजस्व अधिकारी से उभयपक्षकारान को सूचित करवाते हुए मौका रिपोर्ट प्राप्त किए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–क से संबंधित अन्य प्रकरण संख्या 03/2016 बअनवान शंकराराम वगैरह बनाम सुबटीदेवी वगैरह में प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 21.09.2016 जोकि पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई थीं, के आधार पर तहसीलदार से केवल डीएलसी रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो विधिसम्मत नहीं हैं। क्योंकि प्रथम तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को विधिवत सूचित करवाते हुए सक्षम अधिकारी से कोई जांच प्रतिवेदन व मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं किया गया। साथ ही हस्तगत प्रकरण दर्ज होने के पूर्व ही किसी अन्य प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट जोकि पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई। जो कानूनन सक्षम नहीं हैं तथा उक्त रिपोर्ट हस्तगत प्रकरण के लिए प्रासंगिक व स्वीकार योग्य नहीं हो सकती, के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जोकि धारा 251–क एवं नियम 69 व 70 तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल होने से स्वीकार व पुष्टि योग्य नहीं हैं।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन आदेश की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बागोड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2019 बअनवान नरसाराम वगैरह बनाम सुबटीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.12.2019 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए प्रकरण में भू.अ.नि. से अनिम्न राजस्व अधिकारी से सभी प्रभावित खातेदारान को सूचित करवाते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय उपखंड अधिकारी बागोड़ा में दिनांक 25.05.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय आज दिनांक **29.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली